



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 355]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.आ. 382(अ).— केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20क के अनुसरण में 8% सल्फर के पुष्टीकृत अनंतिम उर्वरक यूरिया अमोनियम फोस्फेट (24:24:0) को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों के लिए भारत में विनिर्मित करने हेतु निम्नलिखित विनिर्देशन अधिसूचित करती है, अर्थात्:— यूरिया अमोनियम फोस्फेट (24:24:0 8% सल्फर से पुष्टीकृत) विशिष्टियां :

- | | |
|--|------|
| (i) भार के आधार पर आर्द्रता का अधिकतम, प्रतिशत | 1.5 |
| (ii) भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन का न्यूनतम, प्रतिशत | 24.0 |
| (iii) भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का न्यूनतम, प्रतिशत | 7.5 |
| (iv) भार के आधार पर यूरिया के रूप में नाइट्रोजन का अधिकतम प्रतिशत | 16.5 |
| (v) भार के आधार पर न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट घुलनशील फास्फेट (पी ₂ ओ ₅ के रूप में) का न्यूनतम, प्रतिशत | 24.0 |
| (vi) भार के आधार पर पानी में घुलनशील फास्फेट (पी ₂ ओ ₅ के रूप में) का न्यूनतम, प्रतिशत | 20.4 |
| (vii) भार के आधार पर कुल सल्फर का न्यूनतम, प्रतिशत | 8.0 |
| (viii) भार के आधार पर मूल सल्फर का न्यूनतम, प्रतिशत | 3.0 |
| (ix) भार के आधार पर सल्फेट सल्फर (एस के रूप में) का न्यूनतम, प्रतिशत | 5.0 |
| (x) कण आकार: पदार्थ का 90 प्रतिशत से अन्यून 4 मि.मी. भा.मा. छलनी से छन जाएगा और 1 मि.मी. भा.मा. छलनी पर रह जाएगा।
5 प्रतिशत से अनधिक 1 मि. मी. भा.मा. छलनी से नीचे रहेगा। | |

[फा. सं. 2-2/2012-उर्व. विधि]

नरेन्द्र भूषण, संयुक्त सचिव

635GI2013

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2013

S.O. 382(E).—In pursuance of clause 20A of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby notifies the specifications in respect of provisional fertilizer Urea Ammonium Phosphate (24:24:0) fortified with 8% Sulphur to be manufactured in India for a period of two years from the date of publication of this notification, in the Official Gazette, namely:—

Urea Ammonium Phosphate (24:24:0 fortified with 8% Sulphur)

Specifications :

- | | |
|--|------|
| (i) Moisture per cent by weight, maximum | 1.5 |
| (ii) Total nitrogen per cent by weight, minimum | 24.0 |
| (iii) Ammoniacal nitrogen per cent by weight, minimum | 7.5 |
| (iv) Nitrogen in the form of Urea per cent by weight, maximum | 16.5 |
| (v) Neutral ammonium citrate soluble phosphate (as P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum | 24.0 |
| (vi) Water soluble phosphate (P ₂ O ₅) per cent by weight, minimum | 20.4 |
| (vii) Total Sulphur per cent by weight, minimum | 8.0 |
| (viii) Elemental Sulphur, per cent by weight, minimum | 3.0 |
| (ix) Sulphate Sulphur (as S) per cent by weight, minimum | 5.0 |
| (x) Particular size: not less than 90 per cent of the material shall pass through 4 mm IS sieve and be retained on 1 mm IS sieve.
Not less than 5 per cent. shall be below 1 mm IS sieve. | |

[F.No. 2-2/2012-Fert. Law]

NARENDRA BHOOSHAN, Jt. Secy.